रजिस्टर्ड नं. पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 फरवरी, 1988/8 फाल्गुन, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला, 2 नवम्बर, 1987

संख्या 7-41/74-4.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक (अमैंडमैंट) ऐक्ट, 1987 (1987 का 17) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवम्बर, 1987 के 16वें दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
एस० एस० सिद्धू,
सचिव (सहकारिता) ।

2465-राजपत्र/88-27-2-88—1,315. मूल्य: 20 पैसे ।

[*Authoritative English text of this Government notification No.* 7-41/74-*IV, dated* 2-11-87 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd November, 1987

No. 7-41/74-IV.—In exercise of the powers vested under sub-section (2) of section 1 of the Himachal Pradesh Co-operative Land Development Bank (Amendment) Act, 1987 (Act No. 17 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the 16th day of November, 1987 the date on which all the provisions of the aforesaid Act shall come into force in whole of Himachal Pradesh.

By order,

S. S. SIDHU,
Secretary.

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Kullu, the 27th October, 1987

No. FDS-LI-4-87-7203-7268.—In continuation of this office notification No. FDS.S (2)/85-6046-6106, dated 3-9-1987 and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1) (e) of the H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Orders, 1977, I, P. K. Monga, District Magistrate, Kullu do hereby order that the rates so fixed *vide* notification referred to above shall continue to remain in force for a further period of two months from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

P. K. MONGA,
District Magistrate, Kullu.

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SIRMAUR DISTRICT, NAHAN (H.P.)

NOTIFICATION

Nahan, the 16th November, 1987

No. FDS.2-9/82-II.—In supersession of all previous notifications and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(1) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, as amended *vide* H.P. Government Food and Supplies Department Notification No. FDS.A-3-(2)/77, dated 30-10-1980, I, Ashok Thakur, I.A.S., District Magistrate, Sirmaur district, Nahan (H.P.), do hereby fix the rates of L.P.G., cylinders in respect of Nahan and Paonta towns as under with immediate effect:

Zone	Area	Actual cost or sale rate of L.P.G. cylinder	Colliage chargeable	Total Sale rate of L.P.G. including cooliage	Sale rate of L.P.G. cylinders *ex*-godown after allowing rebate of Re. 1/-
1	2	3	4	5	6
Nahan	R &T Factory and Cantt. Area of Nahan town.	Rs. 64/78	Rs. 7/-	Rs.71/78	Rs. 63/78.
	Rest of Nahan town	Rs. 64/78	Rs. 5/-	Rs. 69/78	Rs. 63/78.

1	2	3	4	5	6
Paonta	Devi Nagar	Rs.64/15	Rs. 2/-	Rs. 66/15	Rs. 63/15
	Paonta town	Rs.64/15	Rs. 3/-	Rs. 67/15	Rs. 63/15
	Badri Nagar	Rs. 64/15	Rs. 5/-	Rs. 69/15	Rs. 63/15
	Bata Bridge	Rs. 64/15	Rs. 6/-	Rs. 70/15	Rs. 63/15
	Taruwala	Rs. 64/15	Rs. 6/-	Rs. 70/15	Rs. 63/15

(1) The dealers of L.P.G. *i.e.* M/s Abhilasha Enterprises, Nahan and M/s Pradeep Gas Service, Paonta will stamp card indicating in which particular zone a consumer falls so as to avoid any confusion and issue them cash memos accordingly.

(2) The Gas Agency holder shall display daily stock position and sale rate along with the cooliage at a conspicuous place of business.

(3) The dealer should intimate serial number of booking of L.P.G. refill to the L.P.G. consumer on phone or on the counter when he makes request for booking.

(4) In case of any dispute of zone in which a particular area falls, the matter will be decided by the undersigned or Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib.

(5) Consumers who desire to take L.P.G. refill *ex*-godown should be permitted to do so provided their turn against their booking is matured. A rebate of Re. 1/- will be allowed to such consumers and L.P.G. cylinders will be issued to them by the Gas Agency after giving rebate of Re. 1/- as envisaged in Col. No. 6 overleaf.

(6) This notification will come into force with immediate effect.

ASHOK THAKUR,
District Magistrate,
Sirmaur district, Nahan.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी ऊना जिला, ऊना (हिमाचल प्रदेश)

अधिसूचना

ऊना, 16 नवम्बर, 1987

क्रमांक एफ0 डी0 एस0 ऊना-6-1136/81 (भाग-2).—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0 ऊना 6-1136/81 (भाग-2)-4455-4501, दिनांक 21 जुलाई, 1987 तथा संशोधन संख्या एफ0 डी0 एस0 ऊना-6-1136/81 (भाग-2)-5049-93, दिनांक 10-9-87 और हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) ई, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजमणि त्रिपाठी, भा0 प्र0 से0 जिला दण्डाधिकारी ऊना उपरोक्त अधिसूचना के क्रमांक 3 में दर्शाई गई वस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम परचून व थोक भाव निम्न प्रकार से निश्चित करता हूं :—

क्रमांक	अनुसूची के अनुसार संख्या	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून दर
1	2	3	4
3	18	1. दूध उत्पादक द्वारा बेचे जाने वाले कच्चे दूध का भाव	रु0 3.50 प्रति लीटर
		2. दूध थोक विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले दूध का भाव	रु0 3.75 प्रति लीटर
		3. दूध कच्चा (परचून भाव)	रु0 4.00 प्रति लीटर
		4. दूध उबला हुआ	रु0 4.25 प्रति लीटर

1	2	3	4
		5. दूध उबला हुआ चीनी सहित	रु0 4.50 प्रति लीटर
		6. दूध चीनी व पत्ती सहित	रु0 5.00 प्रति लीटर
		7. दही	रु0 5.25 प्रति किलो

उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा निश्चित अन्य भाव पहले जैसे ही रहेंगे तथा यह सभी भाव समस्त ज़िलों में इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो माह तक लागू रहेंगे।

राजमणि त्रिपाठी,
ज़िला दण्डाधिकारी ऊना।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 20 नवम्बर, 1987

संख्या पी0 डी0 एच-एच0 (ए) (5) 31/84.—क्योंकि श्री प्रीतम सिंह पंच ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा विकास खण्ड नाहन, ज़िला सिरमौर गत अवधि में जबकि वह उक्त पंचायत के पंच पद पर कार्यरत थे, अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सिरमौर द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर निम्नलिखित आई0 आर0 डी0 पी0 परिवारों के गलत केस बनाने के दोषी पाए गए हैं :—

(1) श्री दिला राम पुत्र श्री जानकी राम गांव मन्डलांह का आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत खच्चरों के क्रय हेतु 16-9-82 को झूठा केस तैयार किया गया जिसमें श्री प्रीतम सिंह पंच का मुख्य हाथ रहा है

(2) श्री प्रीतम सिंह पंच ने अपने ही नाम आई0 आर0 डी0 पी0 परिवारों के अन्तर्गत खच्चरों के क्रय हेतु ग्राम सेवक की सहायता से दिनांक 8-2-83 को केस तैयार करवाया जकि उसके पिता के पास 70 बीघा ज़मीन है।

और क्योंकि उक्त कृत्य के लिए उन्हें इस कार्यालय के सम संख्यक आदेश दिनांक 18 जून, 1985 के अन्तर्गत उक्त पंचायत के पंच पद से निलम्बित किया गया था।

और क्योंकि उक्त पंच 1985 के पंचायत के आम चुनाव में पुनः निर्वाचित हुए हैं तथा उनके विरुध अभी उक्त आरोपों का मामला जांचाधीन है। ऐसी अवस्था में उनका पंच पद पर बने रहना उचित नहीं समझा जाता।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उक्त श्री प्रीतम सिंह पंच ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत पंच पद से निलम्बित करने का सहर्ष आदेश देते हैं तथा साथ साथ यह भी आदेश देते हैं कि वह निलम्बन अवधि में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और यदि उनके पास कोई कार्यभार हो तो वह उप-प्रधान को, तथा यदि कोई रिकार्ड/सम्पत्ति उनके पास हो तो पंचाय सचिव को सौंप देंगे।

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।